जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / वि0अ0 / 1993 / 2020 दिनांक: 28 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

विषयः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9–10) एवं दशामोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदनो में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग सम्बन्धी, त्रुटि को जनपदीय लागिन से सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः C-1875 स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 96–II / 2020–21, दिनांकः 19 अक्टूबर, 2020, तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सख्याः2118 / पि0व0क0 / 2020–21, लखनऊ, दिनांकः 20 अक्टूबर, 2020 एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलिया के पत्र संख्याः91 / पि0व0क0 / छात्रवृत्ति / 2020–21, दिनांकः 27 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं द्वारा आनलाइन किये जा रहे आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग सम्बन्धी त्रुटि को जनपदीय लॉगिन से सत्यापन किये जाने सम्बन्धित है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. माननीय कुलपति जी
2. प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
3. उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेब साइट एवं कालेज लागइन पर अपलोड कराने हेतु
4. सूचना पट्ट।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

Scanned with CamScanner

अति महत्वपूर्ण/आवश्यक

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

सेवा में,

1. कुल सचिव,
   जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

2. जिला विद्यालय निरीक्षक
   बलिया।

पत्रांक– 91 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

विषय– ***वित्तीय वर्ष–2020–21 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9–10) एंव दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदनो में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एंव स्पेलिंग सम्बन्धी त्रुटि को जनपदीय लागिन से सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।***

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1875 दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 एंव निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2118 दिनांक 20 अकटूबर, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में **पुर्वदशम् (कक्षा 9–10) एंव दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति योजनार्न्तगत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन किये जा रहे आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन वार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एंव स्पेलिंग सम्बन्धी त्रुटि को जनपदीय लॉगिन से सत्यापित** किये जाने के सम्बन्ध में समस्त विभागीय अधिकारियों को निम्न विन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

1. जनपद में संचालित समस्त सरकारी, अर्द्व सरकारी एंव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम 03 अवसर समाप्त होने के उपरान्त पुनः 72 धण्टे के पश्चात् 03 अतिरिक्त अवसर मिलेंगें।
2. आप इस सम्बन्ध में स्वयं अवगत होते हुये एंव जनपद के समस्त संस्थाओं/छात्रों को भी अवगत करा दे कि छात्रवृति लागिन पर उपलब्ध आप्शन में नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को छात्र/छात्राओं द्वारा सही करने पर डाटा जनपदीय अधिकारी अपने लागिन से छात्र/छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख सही होने की दशा में साक्ष्य अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन करेंगें, जिससे कि छात्र/छात्राओं के सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जाना सम्भव हो सके।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको उक्त पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि जनपद में समस्त संचालित समस्त सरकारी, अर्द्व सरकारी एंव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र एंव अभिलेखों सहित प्राप्त कर संस्थाओं द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल विभागीय/आवश्यक कार्यवाही किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति से वांचित होने के उपरान्त छात्र–छात्राएं एंव संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होगें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(राजीव कुमार यादव)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया।
3. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आजमगढ़,मण्डल–आजमगढ़।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2118 /पि0व0क0/2020–21, लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

विषय– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को जनपदीय लॉगिन से सत्यापित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–सी–1875/स0क0/शिक्षा–अ/3/96–II/2020–21 दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन किये जा रहे आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को जनपदीय लॉगिन से सत्यापित किये जाने के संबंध में समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:–

1– प्रत्येक संस्था स्वयं अवगत होते हुए इस संबंध में छात्र/छात्रा को भी अवगत करा दे कि आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम 03 अवसर समाप्त होने के उपरान्त पुनः 72 घण्टे के पश्चात् 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे।

2– जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध आप्शन में नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को छात्र/छात्रा द्वारा सही करने पर डाटा जनपदीय अधिकारी अपने लॉगिन से छात्र/छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख सही होने की दशा में साक्ष्य अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन करेंगे, जिससे कि छात्र/छात्रा के सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जाना सम्भव हो सके।

अतः निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रत्येक शिक्षण संस्था को अवगत कराते हुए स्वयं नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,
Sd/- 20.10.2020
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पत्रांक 2118 /पि0व0क0/2020–21, लखनऊ : दिनांक अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

2– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से भी अपने मण्डल के समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

Sd/- 20.10.2020
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

Scanned with CamScanner

ई–मेल

निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक– C-1975स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 96–II / 2020–21

लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2020

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम (कक्षा–9–10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग संबंधी गलती को लॉगिन से सत्यापित किये जाने के संबंध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या–2469 / 26–3–2020 दिनांक 01.10.2020 एवं निदेशालय पत्रांक सी0–1749 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 96–2 / 2020–21 दिनांक 07–10–2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के उपरान्त ही सबमिट किये जाने की व्यवस्था के कम में 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र दिनांक 07–10–2020 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग गलती को सही करने हेतु छात्र / छात्राओं को आप्शन उपलब्ध कराने तथा आप द्वारा ऐसे सही किये गये डाटा को लागिन से सत्यापन के उपरांत ही छात्र / छात्रा के नाम का आधार प्रमाणीकरण मान्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

निदेशालय पत्र संख्या सी–1031 / स0क0 / शिक्षा–अ / 7 / 27 / 2020–21 दिनांक 30 जुलाई, 2020 द्वारा छात्र का आवेदन पत्र टेम्पोरेरी लॉक से पूर्व आधार प्रमाणीकरण में छात्र का आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि सहित आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 आधारित जन सांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) होने के उपरान्त ही छात्र का आवेदन पत्र टेम्पोरेरी लॉक किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रमाणीकरण के लिए छात्र को तीन अवसर देते हुए इस आशय की चेतावनी छात्र / छात्रा को आधार नम्बर भरते समय छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही है तथापि कई छात्र / छात्राओं द्वारा प्रथम तीन अवसरों पर आधार नम्बर / छात्र / छात्रा का सही नाम / सही जन्मतिथि के गलत अंकन करने के कारण आनलाइन आवेदन पूर्ण करने में अवरोध आ गया। इसको दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में शासन के उक्त आदेश दिनांक 01–10–2020 द्वारा आधार प्रमाणीकरण में छात्र का आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि सहित आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 आधारित जन सांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) होने के लिए छात्र को प्रथम तीन अवसर पूर्ण करने के पश्चात और तीन अवसर दिया गया है। यह अतिरिक्त तीन अवसर प्रथम तीन अवसरों को पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र न भर पाने के स्थिति में तीन दिन के बाद (72 घण्टे के उपरान्त) उपलब्ध होगा।

Scanned with CamScanner

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक संस्था को उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए स्वयं भी निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1– प्रत्येक संस्था स्वयं अवगत होते हुए इस संबंध में छात्र/छात्रा को भी अवगत करा दें कि आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम 03 अवसर समाप्त होने के उपरांत पुनः 72 घण्टे के पश्चात 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे।

2– जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध आप्शन में नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को छात्र/छात्रा द्वारा सही करने पर डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने लागिन से छात्र/छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, सही होने की दशा में साक्ष्य अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन करेंगे, जिससे कि छात्र/छात्रा के सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जाना सम्भव हो सके।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।

2– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

Scanned with CamScanner